

## प्रेस नोट थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर दिनांक 10.01.2026

**मार-पीट व जान से मारने की धमकी देने का अपराध कारित करने के आरोप में 01**

### **नफर अभियुक्ता गिरफ्तार**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष चिलुआताल के नेतृत्व में मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 818/25 धारा 118(2),115(2) ,352,351(3) बीएनएस से संबंधित अभियुक्ता कुशुम देवी पत्नी उधो कुमार निवासी रोहुआ थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### **घटना का संक्षिप्त विवरण-**

अभियुक्ता द्वारा वादिनी को गाली- गुफ्ता देते हुए लाठी-डण्डे से मारा-पीटा गया। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

### **गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता-**

कुशुम देवी पत्नी उधो कुमार निवासी रोहुआ थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर

### **गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-**

मु0अ0सं0 818/25 धारा 118(2),115(2) ,352,351(3) बीएनएस थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर

### **गिरफ्तारी की टीम-**

- 1.थानाध्यक्ष सुरज सिंह थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
- 2.उ0नि0 विकास यादव थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
- 3.म उ नि अंजना कुशवाहा थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
4. का विवेक सिंह थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर